भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2640
4 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

छावनी से गुजरने का मार्गाधिकार

2640. श्री राजू बिष्ट :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिनके आम रास्ते सेना द्वारा बन्द कर दिए गए हैं जबकि उनके गांव स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद भी सेना को जमीन आवंटित करने से पहले से ही बसे हुए थे ;

(ख) क्या सुकना, दार्जीलिंग के निकट पैनाकुमारी के ग्रामीणों को "रास्ते का अधिकार" प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है जिनका राजमार्ग तक पहुंचने का सम्पर्क मार्ग सड़क की बाड़बन्दी करके सेना द्वारा बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 258 के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, 'छावनी में रास्ता बंद किए जाने' के संबंध में दिनांक 04.09.2018 के एसओपी दिशा-निर्देश सेना सहित विभिन्न हितधारकों के साथ उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद जारी किए गए थे ।

(ख) और (ग): सिविल प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी सड़क के माध्यम से गांव पैनाकुमारी से स्टेट हाइवे सिलिगुड़ी-मातिगारा-गन्धुरा-मिरिक (एसएच-12) तक सड़क सम्पर्क प्रदान किया है, जो निम्नानुसार है:-

1. गांव पैनाकुमारी – सिमूलबाड़ी टी स्टेट एसएच-12 को जोड़ने वाली सड़क ।

2. गांव पैनाकुमारी – फुलाबाड़ी टी स्टेट एसएच-12 को जोड़ने वाली सड़क ।

***